	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण
	षष्ठम् विधान सभा अष्टम् सत्र अंक-7

नवा रायपुर अटल नगर, मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. जन्म दिवस की बधाई

माननीय सभापति ने माननीय सदस्य श्री चैतराम अटामी को उनके जन्म दिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

4. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 02, 03 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

6. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती रेणुका सिंह सरूता के स्थान पर श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य अधिकृत रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजेश मूणत सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 72 तारांकित एवं 96 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

7. स्थगन प्रस्ताव

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में करोड़ों रूपये की क्षति

नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में करोड़ों रूपये की क्षति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति ने सूचित किया कि इस संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने पर पढ़ी गई।

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति ने माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

8. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, लालजीत सिंह राठिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, दिलीप लहरिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

9. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह सदस्य ने रायपुर स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित किया ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

11. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय एवं संचालन व्यवस्था में अनियमितता किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

13. नियम 267- "क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
3. डॉ.चरणदास महंत
4. श्री बालेश्वर साहू
5. श्रीमती अंबिका मरकाम

14. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, (सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) ने समिति का तीसवां, इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तिरालीसवां, चौवालीसवां एवं पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्रीमती शेषराज हरवंश
2. श्रीमती अंबिका मरकाम
3. श्री संदीप साहू

16. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या-3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या- 4, जेल से संबंधित मांग संख्या-5, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-30, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या- 46, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या- 80, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या- 4,** पर सर्वश्री भूपेश बघेल, लखेश्वर बघेल, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री ओंकार साहू, श्रीमती चातुरी नंद, **मांग संख्या-5,** पर श्री भूपेश बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-30,** पर सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, दिलीप लहरिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, द्वारिकाधीश यादव, ब्यास कश्यप, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती चातुरी नंद, **मांग संख्या- 46,** पर श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या- 80,** पर श्री भूपेश बघेल के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री सुनील कुमार सोनी, कवासी लखमा, श्रीमती भावना बोहरा, श्री विक्रम मण्डावी,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सर्वश्री प्रेमचंद पटेल, इन्द्र साव, रामकुमार टोप्पो, भूपेश बघेल,

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत,

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन में

कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में 37 मत पड़े ।

पक्ष में 24 मत पड़े ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मांग संख्या-39, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-39 पर डॉ.चरणदास महंत, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, राघवेन्द्र सिंह, ब्यास कश्यप, संदीप साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री रामकुमार यादव, दीपेश साहू

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या- 37, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या- 51 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-26 पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-37** पर श्री कुंवर सिंह निषाद के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अनुज शर्मा, कुंवर सिंह निषाद, प्रेमचंद पटेल, सुशांत शुक्ला, दीपेश साहू, रामकुमार यादव।

श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(रात्रि 9.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा